-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित अभियोग में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष 2025 में थाना बबेरू क्षेत्र में दहेज हत्या मामले में आरोपी पति को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 03 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित वर्ष-2025 में थाना बबेरू क्षेत्र अन्तर्गत दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि जनपद बांदा थाना बबेरू क्षेत्र अन्तर्गत बगेहटा के पास की रहने वाले राजाभईया ने दिनांक 04.05.2025 को थाना बबेरू पर अपने दामाद सुरेश पुत्र भगवानदीन पर अपनी पुत्री की दहेज हत्या के आरोप के संबंध में प्रर्थना पत्र दिया था। इस सम्बन्ध में थाना बबेरू पर मु0अ0सं0 162/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बबेरू श्री सौरभ सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 16.06.2025 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री विजय बहादुर सिंह व श्री उमाशंकर पाल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र कुमार व महिला आरक्षी मालती कुमारी तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से आरोपी पति को मा0 सत्र न्यायालय बांदा द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. सुरेश पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम मझीवा सानी थाना बिसण्डा जनपद बांदा। (पति)